

**राजस्थान सरकार**  
**प्रारम्भिक शिक्षा विभाग**  
**कार्यालय, समन्वयक, प्री डी.एल.एड. परीक्षा, 2023 एवं पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ,**  
**राजस्थान, बीकानेर**

वैबसाइट विज्ञापन संख्या: 10/2023 दिनांक 11.03.2024

**—:अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना:—**

प्री डी.एल.एड परीक्षा, 2023 हेतु शासन के आदेश की अनुपालना में सत्र 2023-24 की प्रवेश प्रक्रिया में नवीन निजी अध्यापक शिक्षा संस्था को सम्मिलित करने के उपरान्त संशोधित काउन्सलिंग कैलेण्डर निम्नानुसार जारी किया जाता है:—

**संशोधित काउन्सलिंग कैलेण्डर**

ऑनलाइन काउन्सलिंग के चरण	दिनांक/अवधि
पूर्व में प्रवेशित छात्राध्यापकों द्वारा नये अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश के इच्छुक होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेण्ट की सहमति प्रदान करते हुए अपने पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन करना।	11.03.2024 15.03.2024
संस्था आवण्टन के प्रथम चरण में संस्था आवण्टन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन-एडमिटेड अभ्यर्थी उपर्युक्त नये शिक्षा संस्थान में यदि प्रवेश की इच्छुक हैं तो उनके द्वारा पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इन्हें जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन करना।	11.03.2024 15.03.2024

नोट:—

- प्रथम आवंटन में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी के इस नये अध्यापक शिक्षा संस्था में प्रवेश की इच्छुक होने की स्थिति में अपवर्ड मूवमेण्ट की सहमति प्रदान करते हुए वे अपने पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इस नई संस्थान को जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे।
- जो प्रवेशित अभ्यर्थी पूर्व में अपवर्ड मूवमेण्ट देने हेतु सहमति प्रदान कर चुकी हैं एवं उपर्युक्त नवीन शिक्षक संस्था में प्रवेश की इच्छुक नहीं हैं, उन्हें पोर्टल पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी है, उनके द्वारा पूर्व में किया गया आवेदन प्रभावी रहेगा।
- संस्था आवण्टन के प्रथम चरण में संस्था आवण्टन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन-एडमिटेड अभ्यर्थी उपर्युक्त नवीन शिक्षा संस्था में यदि प्रवेश के इच्छुक हैं तो वे उनके द्वारा पूर्व के विकल्पों के मध्य किसी भी क्रम संख्या पर इस नवीन अध्यापक शिक्षा संस्था को जोड़ने का कार्य पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे।
- प्रथम चरण में संस्था आवण्टन से वंचित तथा आवंटन के पश्चात भी तात्कालिक कारणों से नॉन-एडमिटेड अभ्यर्थी जो उपर्युक्त नवीन शिक्षक संस्था में प्रवेश की इच्छुक नहीं हैं, उन्हें पोर्टल पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी है, उनके द्वारा पूर्व में आवेदित वरीयता क्रम प्रभावी रहेगा तथा तदनुसार द्वितीय आवंटन किया जाएगा।
- संस्था आवण्टन के प्रथम चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के लिए भी इस अवधि में अपवर्ड मूवमेण्ट के लिए सहमति/असहमति (YES/NO) का विकल्प पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा।

**Signature valid**

RajKaj Ref  
6037339



Digitally signed by Balraj Lal  
Designation: Deputy Director  
Date: 2024.03.11 17:49:29 IST  
Reason: Approved

- अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा यदि किसी अभ्यर्थी का संस्थान परिवर्तन उसके द्वारा चाही गई वरीयता में से हो जाता है तो पुरानी प्रवेशित संस्थान में उसका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा नई प्रवेशित अध्यापक शिक्षा संस्थान में उसे पुनः ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। संस्था आवंटन के प्रथम चरण में प्रवेशित किसी अभ्यर्थी का संस्थान परिवर्तन होने की स्थिति में उससे नवीन संस्थान द्वारा डीएलएड प्रथम वर्ष हेतु पुनः शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- समस्त अभ्यर्थियों को अधिकृत वेबसाइट [www.panjiyakpredeled.in](http://www.panjiyakpredeled.in) पर जाकर नये अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को जोड़ते हुए विकल्प संशोधन की सुविधा दी जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस विज्ञापन के सभी बिन्दुओं का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात् ही संशोधित कारुन्सलिंग प्रक्रिया में आवेदन करेंगे।
- नोट: गीजांलजि शिक्षण संस्थान, बोरावड़, नागौर तथा आर.के.टी.टी. कॉलेज, बोरावड़, नागौर में आगामी चरण का सीट आवंटन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या क्रमशः 116/2024 एवं 97/2024 के निर्णयाधीन रहेगा।

समन्वयक  
प्रीडीएलएड

Signature valid

RajKaj Ref  
6037339

Digitally signed by Bajrang Lal  
Designation: Deputy Director  
Date: 2024.03.11 12:49:29 IST  
Reason: Approved